	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व जो इस
30.9.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। वादवादीगण को सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	
	Sd/-	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

वाद सं0 : 16/2013

1. मु0 कुकीबाई बेवा शंभू जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
2. किरणकुमार पिता शंभू जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
3. अर्जुनकुमार पिता शंभू जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
2. कन्हैयालाल पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
3. बालू पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
4. शंकर पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
5. सेहनी पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
6. कमलाबाई पत्नि भागचन्द्र जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
7. प्रेमबाई पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
8. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
9. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ जरिये राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता वादीगण
श्री इफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक::– 30.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वादपत्र इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 57 होकर आराजी नं0 46 रकबा 0.7400 हैक्टर, आराजी नं0 132 रकबा 0.9100 हैक्टर, आ0सं0 135 रकबा 0.3600 हैक्टर, आ0नं0 151 रकबा 0.2600 हैक्टर, आ0नं0 152 रकबा 0.2100 हैक्टर, आ0नं0 156 रकबा 0.0800 हैक्टर, आ0नं0 158 रकबा 0.1100 हैक्टर, आ0नं0 161 रकबा 0.8900 हैक्टर, आ0नं0 162 रकबा 0.1600हैक्टर, आ0नं0 163 रकबा 0.4100 हैक्टर, आ0नं0 192 रकबा 0.2200 हैक्टर, आ0नं0 280 रकबा 0.030 हैक्टर ,आ0नं0 285 रकबा 0.0400 हैक्टर, आ0नं0 314 रकबा 0.020 हैक्टर,आ0नं0 313 रकबा 0.01400 हैक्टर कुल कीता 15 कुल रकबा 4.4540 हैक्टर मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर में स्थित है।

यह कि उक्त विवादित आराजीयात मे वादीगण के पिता का 1/9 हक हिस्सा था लेकिन वादीगण की दादी एवं स्व0 शंभूलाल की माता नानीबाई बेवा बरदा जी की मृत्यु उपरान्त उक्त खाता संख्या 57 की कुलिया आराजीयात में वादीगण का 1/8 हक हिस्सा बनता था लेकिन प्रतिवादीगण एक से छह ने दानपत्र के द्वारा अपना हकत्याग हमारे पक्ष में करने से हम वादीगण का 3/7 हक हिस्सा बनता है, इसी हक हिस्से अनुसार मौके पर वहमी तौर पर बंटवाडा हो वादीगण के पिता के जीवनकाल से ही काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण अपने खाते का बंटवाडा कराना चाहते है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा सबंधी व मेर पाली व भूमि की किस्म को लेकर आपसी विवाद करते रहते है, जिसका की उनको कानूनी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है फिर भी वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर बंटवाडा करने की कहा तो उन्होने मना कर दिया इसलिये उक्त भूमि का वर्णित हक हिस्से अनुसार बंटवारा करने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त विवादित आराजीयात में खाता संख्या 57 में वादीण्गा का हक हिस्सा 3/7 का अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी के आधार पर उक्त भूमि का उक्त हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाना व वादी का खाता पृथक दर्ज किया जाना न्यायहित में न्यायोचित होगा। यह कि वाद कारण दिनांक 22.01.2013 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर बंटवारा कराने को कहा किन्तु मना करने से पैदा होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 8 व 9 वाद में आवश्यक पक्षकार भूमिधारी व प्रतिनिधि राजस्थान सरकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया है। वाद वर्णित विवादित आराजीयात तह0 बेगूँ में

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

होने व पक्षकार भी तहसील बेगूं के स्थाई निवासी होने के कारण वाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से वादीगण निम्न अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है:-

क- कि वाद वादी का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात जिसके खाता संख्या 57 में वादीगण का निहित हक हिस्सा 3/7 का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे व वादी के हक हिस्से को पृथक खातेदारी में दर्ज किया जावें।

ख- कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादीगण हो व विरूद्ध प्रतिवादीगण हो प्रदान किया जावें।

वादीगण का वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईफतेखार अजमेरी ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत कर वादपत्र का जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा अपने जवाबदावा में निवेदन किया कि उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से श्रीमान के न्यायालय में बंटवाडा हो चुका है। वादपत्र अस्वीकार है। वादीया का मौके पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा, वादीया महत्वपूर्ण भूमि को हडपना चाहती है इसलिये यह झूंठा और बेबुनियाद वाद प्रस्तुत किया है। यह की जब पूर्व में ही न्यायालय श्रीमान आप द्वारा प्रकरण में बंटवाडा कर दिया गया है तो किस प्रकार यह वादपत्र चल सकता है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 16.12.2006 को प्रकरण संख्या 5/2004 में विधिवत निर्णय पारित कर दिया गया है जिसकी कोई अपील भी नहीं हुई है। वादीया 1/8 हक प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है वादीया का मौके पर कब्जा नहीं है। ना ही वाद कारण दिनांक 22.01.2013 को उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रकरण न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार का नहीं है।

प्रस्तुत जवाब के विशेष कथन में निवेदन किया कि उक्त आराजीयात को लेकर प्रकरण संख्या 5/2004 व अनवान बालूलाल धाकड बनाम शम्भूलाल धाकड के मध्य इन्हीं आराजीयात को लेकर धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रकरण दिनांक 16.12.2006 को न्यायालय श्रीमान द्वारा विधिवत दोनो पक्षो को सुन कर निर्णित कर दिया गया है तो यह प्रकरण चलने योग्य नहीं है और इसी अनुसार जमाबंदी में हिस्से अनुसार इन्दाज भी हो गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली में निम्न लिखित तनकी कायम कर शामिल पत्रावली की गई है:-

1- आया कि मौजा किशोर पटवार हल्का जयनगर में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात जिसके खाता संख्या 57 होकर आराजी संख्या 46, 132, 135, 151, 152, 156, 158, 161, 162, 163, 192, 280, 285, 314, 313 कुल कीता-15 कुल रकबा 4.4540 हैक्टर में वादीगण का निहित हक हिस्सा 3/7 का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से को पृथक से दर्ज कराये जानेका वादी अधिकारी है?

जिम्मे वादी

2- आया कि वादवर्णित आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवाडा हो गया है जिसके प्रकरण संख्या 05/2004 व अनवान बालूलाल धाकड बनाम शंभूलाल धाकड अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत दिनांक 16.12.2006 को दोनो पक्षो को सुना जाकर निर्णित हो चुका है तथा इसी अनुसार जमाबंदी में इन्द्राज हो चुका है। अतः वादपत्र वादी का खारिज होने योग्य है ?

जिम्मे प्रतिवादी 2,3,4,5,7

3- दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र के पश्चात साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादीया कुकीबाई पति शंभूलाल , किरण कुमार पिता शंभूलाल धाकड, अर्जुन पिता शंभूलाल धाकड के पेश किये जिनसे अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह कर वादी के बयानो को कलमबद्ध करा साक्ष्य वादी पूर्ण की गई वक्त मुख्य परीक्षण वादीया द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया। पत्रावली में वादी साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के समुचित अवसर दिये गये किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण की साक्ष्य को बन्द किये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया।

दावा पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही करते हुए वर्णित आराजीयात का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये जाने व खाता पृथक पृथक दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया, जबकि अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि इस वाद वर्णित कृषि आराजीयात का विभाजन पूर्व में हो चुका है, यह दावा न्यायालय में चलने योग्य ही नहीं है,

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

ना ही न्यायालय के श्रृवणाधिकार का है। वर्णित कृषि आराजीयात पर वादीया का कब्जा काश्त ना नहीं है इसलिए वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावें।

दावा पत्रावली पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादपत्र एवं जबाव के आधार पर कायम तनकी पत्र अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– तनकी नं0 1 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण का है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सिद्ध कराने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी मौजा किशोरपुरा प0ह0 जयनगर की सम्वत 2065 से 2068 तक की है जिसमें वर्णित कृषि आराजीयात संख्या *46, 132, 135, 151, 152, 156, 158, 161, 162, 163, 192, 280, 285, 314, 313 कुल कीता–15 कुल रकबा 4.4540 हैक्टर* भूमि के खातेदार श्री देवीलाल कन्हैयालाल रामचन्द्र बालू शंभू शंकर मोहनीबाई प्रेमबाई पिता बरदा मु. नानीबाई बेवा बरदा धाकड सा.देह खातेदार दर्ज अंकित है। जमाबंदी में नोट अंकित किया हुआ है नामा.सं. 418 दिनांक 28.01.2010 बेचान विकय से आराजी सं0 46 रकबा 74 हैक्टर से खाता इस प्रकार बनेगा देवीलाल रामचन्द्र शंकर प्रेमबाई पिता बरदा मु. नानीबाई बेवा बरदा 2/9 कमलाबाई पत्नी भागचन्द्र 1/3धाकड कन्हैयॉलाल बालू शंभू सोहनीबाई पिता बरदा 4/9 धाकड सा.देह के नाम पर दर्ज हुआ। नामा.सं. 450 नि.दि.21.11.2011 रहननामा में रहन हिस्स देवीलाल का चि.स.भू.वि.बैंक के रहन दर्ज करने की स्वीकृती हुई।

नामान्तरण संख्या 456 नि.दि. 07.02.2012 विरासत खातेदार नानीबाई फोत से इनके स्थान पर देवीलाल कन्हैयॉलाल रामचन्द्र बालू शंभू शंकर सोहनीबाई प्रेमबाई पिता बरदा के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति हुई। शेष बदस्तूर। ना.सं. 459 नि.दि. 21.05.2012 विरासत खातेदार शंभू पिता बरदा फोत के स्थान पर कूकीबाई पत्नी स्व.शंभू किरणकुमार अर्जुन कुमार पिता शंभू के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति हुई। शेष बदस्तूर। इस प्रकार वादीगण के खाते में यह आराजीयात उनके पिता व पति शंभू पिता बरदा के फोत होने से दर्ज हुई है। वर्णित कृषि आराजीयात में कितना हक हिस्सा किस कृषक के खाते में रहेगा इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा अपने हिस्से व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा हेतु अंकन अपने वादपत्र में नहीं किया है। इस जमाबंदी से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादीगण का हिस्सा 3/7 किस प्रकार से बनता हैं। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में हिस्से की घोषणा एवं कही भी परिवार का सजरा नहीं दर्शाया है, जिससे हिस्सा कितना किस कृषक का होगा यह स्पष्ट वादीगण नहीं करा पाये है। प्रदर्श–2 नक्शाट्रेस आराजी का है। पत्रावली में वादीया श्रीमति कूकीबाई पत्नी स्व.शंभूलाल जी के नाम पर दान पत्र बक्षीश नामा श्री देवीलाल पुत्र श्री बरदा जी व श्रीमति सोहनीबाईपुत्री बरदा जी के द्वारा किया गया है। इस प्रकार पूर्व दर्ज हिस्सा व बक्षीश से प्राप्त कूकीबाई का हिस्सा एवं अन्य वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा कितना कितना बनता है यह जमाबंदी से स्पष्ट नहीं होता है। वादीगण का हिस्सा 3/7 वर्णित कृषि आराजीयात में किस प्रकार बनता है इस तथ्य को वादीगण को अपने वादपत्र के माध्यम से सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। इस प्रकार तनकी नं0 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2–तनकी नं0 2 का निर्णय :–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण का है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबावदावा में यह अंकन किया है कि वर्णित कृषि आराजीयात का विधिवत विभाजन इसी न्यायालय द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। पूर्व के दावा संख्या 5/2004 व अनवान बालूलाल धाकड बनाम शंभूलाल धाकड अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट मे निर्णय दिनांक 16.12.2006 से बंटवाडा हो चुका है, इसलिये यह वादीगण का वादपत्र अब चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबावदावे की पुष्टि में कोई साक्ष्य सबूत इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किये है। ना ही साक्ष्य प्रतिवादीगण की प्रस्तुत की है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के कथन की पुष्टी इस दावा पत्रावली में नहीं होती है। इस प्रकार तनकी नं0 2 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं साक्ष्य वादीगण के अवलोकन से पत्रावली में कायम तनकी नं0 1 वादीगण सिद्ध नहीं करा पाये है। साथ ही प्रतिवादीगण भी अपने जबावदावे की पुष्टी पत्रावली में कोई सबूत व दस्तावेज प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं करा पाये है। इस प्रकार वादीगण का वादपत्र सिद्ध नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी), बेगूं

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
दावा सं0 : 16/2013

1. मु0 कुकीबाई बेवा शंभू जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
2. किरणकुमार पिता शंभू जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
3. अर्जुनकुमार पिता शंभू जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. देवीलाल पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
2. कन्हैयालाल पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
3. बालू पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
4. शंकर पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
5. सेहनी पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
6. कमलाबाई पत्नि भागचन्द्र जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
7. प्रेमबाई पिता बरदा जाति धाकड निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
8. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
9. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ जरिये राजस्थान सरकार

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विजय प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री ईफ्तेखार अजमेंरी की उपस्थिति में वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीगण का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से सिद्ध नहीं होने से दावा वादीगण का एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ